राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313001
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: 0294 - 2410526

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML-IV)/2022/6 दिनांकः 2 .01.2023

Corrigendum-2

निदेशालय की नीलामी विज्ञप्ति क्र.सं. निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML-IV)/ 2022/2131 दिनांकः 16.11.2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. विज्ञप्ति के क्रम संख्या 211, 212 व 213 पर अंकित खनि अभियंता, झूंझूनू के प्लॉट संख्या क्रमशः 36, 36ए व 58 की ई–नीलामी को अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।
2. विज्ञप्ति के क्रम संख्या 246 पर अंकित खनि अभियंता, ब्यावर का प्लॉट संख्या 149 को एम–सेण्ड यूनिट हेतु आरक्षित किया गया है। अतः इसकी नीलामी निम्न शर्त के अधीन रहेगीः–

"खनि अभियंता, ब्यावर के प्लॉट संख्या 149 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 12 के तहत केवल एम सेण्ड यूनिट हेतु आरक्षित किया गया है। उक्त प्लॉट के संबंध में आवंटी एम–सेण्ड नीति 2020 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार एवं समय–समय पर संशोधन अनुसार नियमों की पालना हेतु बाध्य रहेगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(IV)(ee) के अनुसार उपरोक्त आरक्षित किये गये खननपट्टें से निर्गमित खनिज का उपयोग केवल एमसेण्ड हेतु किया जायेगा। उपरोक्त खननपट्टें से निर्गमित खनिज को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्यत्र बेचान /हस्तान्तरित/ निस्तारित नहीं कर सकेगा। उक्त नियम के परन्तुक के अनुसार एमसेण्ड निमार्ण के दौरान अन्य उत्पाद जिसका एमसेण्ड के रूप में निर्गमन नहीं किया जा सकता उसको पट्टाधारी रॉयल्टी मय डीएमएफटी व अन्य शुल्क का भुगतान कर ई–रवन्ना के माध्यम से निर्गमित कर सकता है।

एमसेण्ड नीति 2020 बिन्दु संख्या 5 के अनुसार नई एमसेण्ड ईकाई स्थापित करने हेतु आवेदक की पात्रता की शर्ते निम्नानुसार होगीः–

1. न्यूनतम 3 करोड़ रूपये की नेटवर्थ तथा 3 करोड़ रूपये का टर्नऑवर।
2. पूर्व में इस क्षेत्र (क्रशिंग) का सफलतापूर्वक (न्यूनतम 3 वर्ष) चलाने का स्वयं का अथवा संयुक्त उपक्रम में भागीदार का अनुभव।

उक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 की शर्तों के संबंध में सफलतम बोलीदाता को प्रमाणित दस्तावेज, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13(3) के अनुसार प्रिमीयम की प्रथम किश्त तथा नियम 14(10) के अनुसार दस्तावेज तथा विज्ञप्ति के बिन्दु स(10) के अनुसार दस्तावेजों के साथ निर्धारित 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Superintending Mining Engineer
Date: 2023.01.02 17:05:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3027744

3. निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 16–11–2022 के क्रम में निदेशालय द्वारा जारी कोरिजेन्डम–1 दिनांक 19–12–2022 में अंकित प्लॉटों के संबंध में अंकित शर्त "सफल बोलीदाता को वन विभाग के परिपत्र दिनांक 02–06–2009 की पालना करनी होगी" के स्थान पर " सफल बोलीदाता को वन विभाग के परिपत्र दिनांक 02–09–2006 की पालना करनी होगी" पढ़ा जावें।

(जय के॰ गुरूबक्षाणी)
अतिरिक्त निदेशक (खान) मु0

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML-IV)/2022/7–14 दिनांकः 2 .01.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाईट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, DMGOMS के॰का॰ उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन– जयपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियंता – जयपुर/अजमेर।
5. खनि अभियंता – झूंझूंनू/ ब्यावर।
6. सहायक खनि अभियंता, गोटन।

(जय के॰ गुरूबक्षाणी)
अतिरिक्त निदेशक (खान) मु0

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Superintending Mining Engineer
Date: 2023.01.02 17:05:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3027744